21/11/19 प्रार्थी उप. अधिवक्ता प्रार्थी
की बहस सुनी गई।
प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया है कि
ग्राम हरनेड़ा तहसील चौमू
के प्रार्थी की खातेदारी भूमि
आराजी खसरा नम्बर 380
एवं 378 की भूमि स्थित है।
जो पुराने ख.न. 380 के
नये खसरा नम्बर 549,
550, 551, 552, 554 कुल
किता 5 का कुल रकबा
1.6180 हैक्टेयर है तथा पुराने
ख.न. 378 के बने नये
ख.न. 548, 558, 560, 561,
544/1093 है उक्त आराजी के
मौके ख.न. 380 की पश्चिमी
सीमा पुराने नक्शे के उत्तर
होकर सीधी मौके नक्शा
के अनुसार बने प्रार्थी मौके
नक्शा अनुसार मौके पर कोई
रास्ता था उसे तथा ख.न.
378 की पुरानी उत्तरी तरफ

गोपीराम **बनाम** राज्य सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 25/2010 प्रा.पत्र 136 LRAct

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		की सीमा सीधी से चौड़ी बनाए था। जिस अनुसार ही प्रार्थी मौके पर काबिज रहा था परन्तु दौराने सेटलमेन्ट में पुराने ख.नं. 380 की पश्चिमी सीमा को नापे नक्शा में पुराने नक्शे के बिल्कुल विपरीत बनाई तथा पुराने ख.नं. 378 की उत्तरी सीमा को सीधा कर नक्शा छोटा बना दिया जो पुराने नक्शा अनुसार ही सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा नया नक्शा बनाया जाना था। लेकिन नया नक्शा को पूर्व मौके नक्शा के मुकाबले छोटा बना दिया। जिससे प्रार्थी की उत्तर कूणे वाली नापे ख.नं. 548 की दक्षिणी सीमा को दबाकर करीब 4 फिट कोने तक नक्शा सकड़ा कर दिया तथा नया ख.नं. 552 की पश्चिमी सीमा को दबा दिया जिससे करीब 12-13 फिट जमीन तक नक्शा छोटा बना दिया। जबकि प्रार्थी पुराने ख.नं. 380 व 378 की नक्शा सीमा	

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

मांगीराम बनाम राज्य सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 25/2010 प्रा. पत्र 136 LRA 01

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अनुसार कायम किया गया आवेदक अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम हरसेरा में किया कृषि आराजीयात पुराने ख० नं० 380 व 378 की पुराने नक्शा शीट अनुसार ग्राम वर्ग नये नक्शा में नया ख० नं० 552 की पश्चिमी सीमा को तथा ख० नं० 549 की दक्षिणी सीमा को पुराने नक्शा के मुताबिक नहीं बना कर नया नक्शा स्केच व मोटा बना लिया, जिस हाल नक्शा से पुराने नक्शा अनुसार दुरुस्ती मौके नक्शे अनुसार कराई जाकर नक्शे की शीट को दुरुस्त कराए जाने के आदेश प्रदान करें। प्रकरण में तहसीलदार महोदय से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर जिसका अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता प्रार्थी का श्रवण किया गया। जिससे प्रार्थी ने पत्रावली में पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता	

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

मालीराम बनाम राज. सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 25/2010 प्रा.पत्र 136 LRAct

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र के पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली का नाम खारिज होकर दर्ज नम्बर को का हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	